न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 49/18

तारीखरजू:—14.08.2018

उनवान:— बाबूलाल बनाम रामस्वरूप वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
14.08.18	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे. अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगतं भूमि मे सायलान को कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत करने व नीव खोदकर पक्का निर्माण करने पर आमदा हो रहे है। प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 12.09.2018 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1866/0.11है0 व 1837/0.32 है0 कुल किता 2 रकवा 0.43 है0 ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि मे प्रार्थी के नोश्नल हिस्से मे रिकार्ड व मौका की यथास्थिति आगामी सुनवाई तिथि तक बनाए रखे। आगामी सुनवाई तिथि पर दूसरे पक्ष को सुने जाने के उपरान्त स्थगन वावत निर्णय किया जावेगा। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है, मे परिवर्तन की दशा मे संशेधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 12.09.2018 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	2967–72 14/8/18

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क	फर्द अहकाम
	5-9-19 वकुलाय उप०। जवाब पेश करने पुनः समय चाहा समय दिया गया। जवाब पेश करने दिनांक 6-9-19 को पेश हो।
	6.9.19 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी दौरे पर पधारे है। अतः पत्रावली गताद्दुसार दिनांक 25-9-19 को पेश हो। रीडर
	25.9.19 वकुलाय उप०। जवाब पेश करने पुनः समय चाहा। सुनकर न्यायहित में एक अंतिम मौका दिया जाता है जवाब पेश दिनांक 21.10.19 को पेश हो।
	21.10.19 वकुलाय उप०। जवाब पेश नहीं किया। पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब पेश करने पर्याप्त समय पूर्व में दिया जा चुका है जवाब पेश करने पुनः समय चाहे जाने पर न्यायहित में Rs. 50/- की कॉस्ट अदायगी पर एक मौका दिया जाता है कॉस्ट अदायगी व जवाब पेश करने दिनांक 21.11.19 को पेश हो।
	21.11.19 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी वकील उपस्थित नहीं है. कई बार रूक-रूक कर आवाज दिलवाई गई फिर भी प्रतिवादी वकील एवं प्रतिवादी में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रार्थी वकील ने बहस करते हुए कथन किया कि दावा के निस्तारण तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म कर दिया जावे। प्रार्थी वकील बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित पाने से दावा के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर से कम हो। दावा पत्रावली के साथ शामिल रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.04 16:21:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: